

सं०सं-16/टी.2-09/2023 - 659 (आ. वि.)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शम्भु शरण, मा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना

पटना, दिनांक :- 29.4.2025

विषय :- आयुष प्रक्षेत्र के आशुलिपिक संवर्ग के पदों का कर्णांकन के संबंध में।

महाशय,

बिहार आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2018 में संशोधन करते हुए संशोधित नियमावली, 2025 अधिसूचित किया गया है जिसकी कंडिका 3 में आशुलिपिक के संवर्ग की संरचना का उल्लेख करते हुए प्रोन्नति के पद सोपान निर्धारित किए गए हैं।

2 आयुष प्रक्षेत्र के आशुलिपिक का कुल स्वीकृत पद 47 है। पद का कर्णांकन नहीं होने के कारण प्रोन्नति देने में कठिनाई आ रही थी। प्रोन्नति देने के विषय पर सामान्य प्रशासन का परामर्श है कि प्रशासी विभाग ही संवर्गीय प्रोन्नति के पद को कर्णांकित करते हुए अर्हताधारी कर्मियों को उच्चतर पद का प्रभार देने की कार्रवाई अपने स्तर से कर सकती है।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 5293 दिनांक 03.05.2017 के आलोक में पदों को मूल कोटि, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान एवं तृतीय सोपान में क्रमशः 40:30:20:10 के अनुपात में निर्धारित किया गया है। उक्त के आलोक में आयुष प्रक्षेत्र के आशुलिपिक संवर्ग के पदों को निम्नवत कर्णांकित किया जाता है :-

क्र. सं.	कोटि	स्तर	सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 5293 दिनांक 03.05.2017 के आलोक में 47 पदों का प्रतिशत अनुपात एवं संख्या	पदचिन्हित/पदों का वर्गीकरण
1	आशुलिपिक ग्रेड III	मूल कोटि	47x40%=19 पद	जिला सयुक्त औषधालय, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर, अरवल, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर। उक्त सभी संस्थान में एक-एक पद कुल 19 उन्नीस पद।
2	आशुलिपिक ग्रेड II	प्रथम सोपान	47x30%=14 पद	जिला सयुक्त औषधालय, गोपालगंज, सीवान, प० चम्पारण (बेतिया), समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, नवादा, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी),

				सीतामढी, बेगूसराय, खगडिया, नालन्दा, औरंगाबाद एव दरभंगा। उक्त सभी संस्थान में एक-एक पद कुल 14 चौदह पद।
3	आशुलिपिक ग्रेड I	द्वितीय सोपान	47x20%=9 पद	राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना तथा जिला संयुक्त औषधालय, पटना, हाजीपुर, भोजपुर, गया, रोहतास (सासाराम)। उक्त सभी संस्थानों में एक-एक पद एव आयुष निदेशालय में दो पद कुल 9 नौ पद।
4	प्रधान आशुलिपिक	तृतीय सोपान	47x10%=5 पद	निदेशक होमियोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी (तीनो प्रक्षेत्र के निदेशक के साथ एक-एक पद) एव महानिदेशक (आयुष) के साथ दो पद आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में कुल 5 पांच पद।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

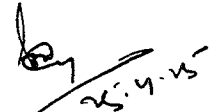
ज्ञापक- 16/टी.2-09/2023 - 659 (आ.प्र.) /पटना, दिनांक- 29.4.2025

प्रतिलिपि - प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/महानिदेशक, आयुष/स्वास्थ्य विभाग एव आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारी एव कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, अधीक्षक, उपाधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक कॉलेज एव अस्पताल/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव

Pia